भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : 85

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइनों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूला जाना

*** 85. श्री अनिल फिरोजिया:**

श्री दिलीप साईकिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयरलाइनों द्वारा यात्रियों से मनमाने ढंग से किराये की वसूली किये जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार का हवाई टिकटों की कीमत का निर्धारण करने अथवा इन टिकटों पर अधिकतम प्रतिशत बढ़ोतरी की सीमा तय करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या रेलवे की तर्ज पर फ्लेक्सी फेयर स्कीम हवाई यात्राओं पर भी लागू की जा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'एयरलाइनों द्वारा मनमाने ढंग से किराया वसूले जाने' से संबंधित लोक सभा के दिनांक 27.06.2019 के मौखिक प्रश्न संख्या 85 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) से (घ): मार्च, 1994 में वायु निगम अधिनियम को निरस्त किए जाने से, सरकार द्वारा हवाई किरायों के अनुमोदन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। एयरलाइनें प्रचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, औचित्यपूर्ण लाभ और सामान्यतया प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों का ध्यान रखते हुए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत औचित्यपूर्ण टैरिफ निर्धारित कर सकती हैं। एयरलाइनों की मूल्य-निर्धारण प्रणाली अनेक स्तरों [श्रेणियां या आरक्षण बुकिंग संकेतक (आरबीडी)] पर चलती है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली परिपाटी के अनुरूप है। एयरलाइनों द्वारा किराए का निर्धारण बाजार मांग, मौसमीयता और अन्य बाजार कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हवाई किरायों में वृद्धि, सीटों की मांग में वृद्धि के साथ होती है क्योंकि जब एयरलाइनें बुकिंग आरंभ करती हैं तो निम्न किराया श्रेणियों की बिक्री तेजी से होती है। कुछ एयरलाइनों ने, 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन आदि की मौजूदा अग्रिम खरीद योजनाओं के अतिरिक्त एपेक्स-90 योजना आरंभ की है, जिसमें अत्यधिक छूट प्राप्त किराए ऑफर किए जाते हैं जिनके तहत व्यस्ततम समय के दौरान भी कम किराए पर यात्रा की जा सकती है। उपरोल्लिखित किराया संरचनाएं, एयरलाइनों द्वारा उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की गई हैं। जब तक एयरलाइनों द्वारा प्रभारित किराए उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किरायों के अनुरूप बने रहते हैं, तब तक एयरलाइनें वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (2) की अनुपालक बनी रहती हैं। प्रचलित विनियम के अनुसार, सभी अनसूचित घरेलू एयरलाइनों से अपेक्षित है कि वे मार्ग-वार और श्रेणी-वार किराए अपनी-अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें। तथापि, हवाई किरायों में वृद्धि का मुद्दा इस मंत्रालय की जानकारी में समय-समय पर आता रहता है। पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) औचक आधार पर चयनित कतिपय मार्गों पर हवाई किरायों की मॉनीटरिंग करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित किराया-सीमा के बाहर हवाई किराए वसूल न करें। हाल ही में किए गए किराया निगरानी विश्लेषण से पता चला है कि हवाई किराए, एयरलाइनों द्वारा अपनी अपनी वेबसाइटों पर अपलोड की गई किराया श्रेणी के भीतर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, जेट एयरवेज के प्रचालन के निलंबन और,बोइंग बी737 मैक्स विमानों के प्रचालन बंद करने की वजह से, मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित श्रेणी के बाहर हवाई किराए वसूल नहीं कर रही हैं, औचक आधार पर चुने हुए कतिपय मार्गों पर हवाई किरायों की मॉनीटरिंग आरंभ की है। मॉनीटरिंग के दौरान, पाया गया कि हालांकि हवाई किरायों में आंशिक वृद्धि हुई थी, परन्तु ये स्थापित किराया श्रेणियों के भीतर ही थे। इसके पश्चात, कुछ घरेलू एयरलाइनों ने अपने बेड़े में और अधिक विमान शामिल करने आरंभ किए जिनके परिणामस्वरूप घरेलू सेक्टरों की क्षमता में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में किराए स्पष्ट रूप से सामान्य पाए गए हैं।

*****